संख्या– 2454 / उन्तीस / 04–2–(35अधि0) / 2002

प्रेषक

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवामे

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जलसंस्थान
देहरादून

पेयजल अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2005

विषय उत्तरांचल जल संस्थान के पूर्णकालिक कर्मचारियों को समयमान– वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बंध में।

महोदय

उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय संकल्प संख्या प0मा0नि0– 225 / दस– 97–5(एम) / 97, दिनांक 09 अक्टूबर, 1997 द्वारा गठित वेतन समिति 1998 की संस्तुतियॉं कतिपय संशोधनोंपरान्त शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0–2 / 1055 / दस / स्था0 नि0 / 98, दिनांक 21 जुलाई, 1998 द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, जिसके कम में नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2767 / 9–1–98–273 सा / 97 दिनांक 11.08.1998 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों / जल संस्थानों में विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत कर इसके प्रस्तर–4 द्वारा समयमान–वेतनमान की पूर्व व्यवस्था स्थगित की गई तथा शासनादेश संख्या 2564 / 9–1–2004–20 सा0 / 2001, दिनांक 25 अगस्त, 2004 द्वारा पूर्व व्यवस्था को कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन पुर्नस्थापित किया गया है।

2 इस सम्बंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयनुसार उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11.08.1998 द्वारा स्थगित की गई समयमान–वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को उत्तरांचल जल संस्थान के पूर्णकालिक कार्मिकों हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुर्नस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड द्वारा जल संस्थान के कर्मचारियों / अधिकारियों को इस प्रकार समयमान–वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन किया जाय और साथ ही यह स्पष्ट संज्ञान लिया जाये कि इस सुविधा की अनुमन्यता के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार के वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी और इसका उत्तरदायित्व उत्तरांचल जल संस्थान का ही होगा।

क्रमशः 2

(2) उत्तरांचल जल संस्थान, समयमान–वेतनमान की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा उसके बाद किसी तिथि से अनुमन्य कराये जाने पर एवं अवशेष की धनराशि का एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कराने पर अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगें तथा केन्द्रीयकृत सेवा के कार्मिको की स्थिति को भी दृष्टिगत रखेंगे।

(3) उपरोक्तानुसार निर्धारित की जा रही शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूरा उत्तरदायित्व उत्तरांचल जल संस्थान के अध्यक्ष, मुख्य महाप्रबन्धक, एवं महाप्रबन्धक जैसी भी स्थिति हो, का रहेंगा । इसमें किसी प्रकार का उल्लंधन किये जाने को वित्तीय अनियमितता माना जायेगा और इसके लिये उपरिलिखित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(4) यदि उत्तरांचल जल संस्थान दिनांक 01 जनवरी, 1996 से उपरोक्त सुविधा प्रदान न करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत उसमें किसी अगली तिथि से यह सुविधा प्रदान करना चाहता है, तो उस तिथि से दिनांक 31 दिसम्बर 2004 तक का एरियर पी0एफ0 में जमा होगा, चाहे वह एक मुश्त या किस्तों में हों और उसे भी सेवानिवृत्त/कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति को छोड़कर अगले तीन वर्षो तक आहरित नहीं किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 143/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 28 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है। भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 2454/उन्तीस/04–2–(35अधि0)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2 आयुक्त गढ़वाल/कुमायू, पौड़ी/नैनीताल
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
4 अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
5 महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, (गढ़वाल/कुमॉयू)
6 निदेशक, स्थानीय निकाय निधि लेखा, उत्तरांचल।
7 वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन।
8 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
9 निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय,उत्तरांचल,देहरादून।
10 निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव